मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

::आदेश::

भोपाल दिनांक 31 मार्च, 2020

क्रमांक एफ 10-2/2020/17/Medi-2 :: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा Corona Virus एवं COVID-19 की रोकथाम एवं प्रभावित व्यक्तियों के लिये किये जाने वाले विभागीय कार्यो हेतुआवश्यक प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारो के संबंध में निर्णय लेने के लिये निम्नानुसार अंतर्विभागीय समिति को किया जाये:-

1. अपर मुख्यसचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
2. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग
3. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग,
5. प्रबंध संचालक, एम.पी.पी.एच.एस.सी.एल

2. अंतर्विभागीय समिति द्वारा निम्नानुसार विषयों पर निर्णय लिया जायेगा :-

(i) पदों के सृजन को छोडकर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 347/आर-1703/04/ब-1/2012 दिनांक 31.03.2017तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी होने वाले उत्तरवर्ती निर्देश में प्रदत्त प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद को प्रदत्त अधिकार;

(ii) नवीन बजट प्रावधान, वेतन मद की बचत का अन्य किसी व्यय मद में पुर्नविनियोजन एवं सवैधानिक प्रतिबंधोंको छोडकर बजट पुर्नविनियोजन के वित्त विभाग के अधिकार;

(iii) वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका भाग 1 एवं भाग 2 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं गैस राहत विभाग को प्रदत्त अधिकारों में संशोधन करने एवं नवीन प्रत्यायोजन किये जाने के वित्त विभाग तथा मंत्रिपरिषद के अधिकार;

(iv) मध्यप्रदेश शासन सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग द्वारा जारी मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 में सूक्ष्म लघु और मध्यम

Scanned with CamScanner

उद्यम विभाग को प्रदत्त अधिकार एवं उक्त नियमों में संशोधन/नवीन नियम जोडने के मंत्रिपरिषद के अधिकार;

2. अंतर्विभागीय समिति के द्वारा लिये गये निर्णयों से, उन निर्णयों हेतु मूलत:सक्षम स्तर को दिनांक 30.09.2020 के उपरांत अवगत कराया जाये।उपरोक्त अधिकारों के तहत किये गये संशोधन/नवीन प्रत्यायोजन दिनांक 30.09.2020 की अवधि तक ही लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

31/03/20
(राजीव चन्द्र दुबे)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 10–2 / 2020 / 17/M-2

भोपाल, दिनांक– 31 / मार्च / 2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुप्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.भोपाल।
2. उप सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्तविभाग,भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
8. मिशन संचालक, एन.एच.एम. कार्यालय भोपाल।
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल।
10. कार्यालय आदेश फोल्डर प्रति।

31/03/20
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग

Scanned with CamScanner